



2026:AHC:33365

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट ए संख्या- 2257 सन् 2026

चंद्र भान सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्राणेश्वर मिश्रा, प्रशांत पांडे

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत पांडे और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक अनुरोध पर, उसे गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक को प्रत्यर्थी संख्या 6 के रूप में पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है।
3. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता, जो राज्य पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, घनश्याम तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य सिविल विविध रिट याचिका संख्या 44330 सन् 2012 के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के प्रकाश में 13 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वेतन में अतिरिक्त वृद्धि चाहता है, जिसका अनुसरण वीरेंद्र कुमार एवं 1 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य रिट याचिका संख्या 48601 सन् 2015 के निर्णय में किया गया, जिसके विरुद्ध विशेष अपील

2

(दोषपूर्ण) संख्या 538 सन् 2016, 07.09.2016 को खारिज कर दिया गया था, और इसी तरह विशेष अनुमति याचिका सीसी 6316 सन् 2017 को 03.04.2017 को खारिज कर दिया गया था।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह विधिक स्थिति आज तक बरकरार है और याचिकाकर्ता जैसे कई कर्मचारियों को लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने न्यायालय के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



समक्ष इस न्यायालय द्वारा राधे श्याम यादव एवं 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य रिट याचिका संख्या 6753 सन् 2023, हाल ही में पारित आदेश को भी प्रस्तुत किया है।

5. उपरोक्त के मद्देनजर, यह याचिका का निपटारा एक दिशा निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है और अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में, नई याचिका प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर घनश्याम तिवारी (उपरोक्त) निर्णय के अनुसार उस पर विचार किया जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगा।

16 फरवरी, 2026

एन० एस० राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"